



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2011/वैशाख 9, 1933

No. 732]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2011/VAISAKHA 9, 1933

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2011

New Delhi, the 29th April, 2011

का.आ. 909(अ).—केन्द्र सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मई, 2011 की पहली तारीख को, सन्दर्भित अधिनियम के प्रावधानों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में निर्धारित करती है।

S.O. 909(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 2011 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[फा.सं. II/21022/10(1)/2010-एफ.सी.-III]

[F.No. II/21022/10(1)/2010-FC-III]

जी.वी.वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.